वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 08.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 08.12.2024

जियोट्रिक्स सॉफ्टवेयर से पकड़े 23 अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने शनिवार को कार्यालय में टीम के साथ जियोट्रिक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करते हुए शहर में हो रहे 23 अवैध निर्माणों को चिह्नित किया। सभी जगह सील की कार्रवाई की गई।

जोन एक के शिवपुर एवं सिकरौल में 17 नव निर्माणों का मौके पर सर्वे किया गया। इसमें नौ का मानचित्र स्वीकृत था और दो जगहों पर सरकारी भवनों में काम हो रहा था। छह स्थानों पर बिना मानचित्र स्वीकृत के ही काम हो रहा था। जोन दो के सारनाथ, आदमपुर एवं जैतपुरा में तीन स्थानों पर मानचित्र स्वीकृत मिला जबकि एक जगह बाउंड्रीवाल और पांच जगहों पर बिना मानचित्र स्वीकृति के ही काम हो रहा था। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 08.12.2024

बिना एनओसी चल रहे तीन होटलों पर ताला, मालिकों पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रोटोकाल की तहरीर पर दशाश्वमेध पुलिस ने होटल रुद्राक्ष विला, होटल गार्डेन इन, होटल मंगलम मारुति, होटल द बनारस, होटल एमके ग्रैंड के खिलाफ अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बगैर संचालन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। केस दर्ज होने के साथ ही पुलिस ने तीनों होटल को बंद करा दिया। गत तीन सितंबर को अपर नगर मजिस्ट्रेट, जोनल अधिकारी वीडिए, थानाध्यक्ष दशाश्वमेध, अग्निशमन अधिकारी, पर्यटन सूचना अधिकारी की जांच में कमियां सामने आने पर संचालन बंद कराया गया था। जिसे दरकिनार कर दोबारा होटल का संचालन शुरू कर दिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त (अभिसूचना) से गत 19 नवंबर को जांच की गई तो संचालन पाया गया। जिसके बाद केस दर्ज कराया गया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 08.12.2024

वीडीए ने 23 अवैध निर्माण रोकवाए

चार सील, दो फील्ड कर्मियों को नोटिस

जासं,वाराणसी: वीडीए ने इंफोर्समेंट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर के माध्यम से नवनिर्माण चिह्नांकन के साथ कार्रवाई की गति बढ़ा दी है। शनिवार को उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने इसकी समीक्षा की। इसमें पाया गया कि चार जोन में सर्वे के दौरान 23 निर्माण बिना स्वीकृति के पाए गए। उन्हें बंद कराने के साथ नोटिस देकर थाने को सूचना दी गई। चार भवन सील किए गए। चार फील्ड कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया।

जोन संख्या एक में एक हजार वर्ग मीटर से बड़े 17 नवनिर्माणों के सर्वे में छह बिना स्वीकृति के हो रहे थे। जोन संख्या दो में एक हजार वर्ग मीटर से बड़े नौ नवनिर्माणों के सर्वे में पांच स्थानों पर बिना स्वीकृति हो रहा कार्य बंद करा कर नोटिस दिया गया। एक भवन सील किया गया। जोन संख्या तीन में एक हजार वर्ग मीटर से बड़े सात नवनिर्माण बिना स्वीकृति हो रहे थे। उन्हें बंद कराते हुए नोटिस दिया गया। क्षेत्रीय फील्ड कार्मिक को स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया। जोन संख्या चारमें 500 वर्ग मीटर से बड़े पांच नव निर्माणों के सर्वे में सभी में बिना स्वीकृति के कार्य पाया गया। कार्य बंद करा कर नोटिस दिया गया। तीन भवन सील किए गए। क्षेत्रीय फील्ड कार्मिक को भी नोटिस दिया गया।

उपाध्यक्ष ने जोन एक से चार तक में 500 वर्ग मीटर से बड़े चिह्नित 113 नव निर्माण की स्थलीय जाच एक सप्ताह में कर कार्यवाही का जोन टीम को निर्देश दिया। इंफोर्समेंट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर टीम को एनएच सात व 19 से लगे क्षेत्र में नव निर्माणों का सैटेलाईट डाटा एक सप्ताह में मांगा। बैठक में सचिव वेंद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, संयुक्त सचिव परमानंद यादव समेत अधिकारी थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 08.12.2024

विभिन्न क्षेत्रों में 21 अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने जियोट्रिक्स सॉफ्टवेयर से ₹21 अवैध निर्माणों पर कार्यवाही की। शिवपुर और सिकरौल वार्डों में एक हजार वर्ग मीटर से बड़े कुल 17 नए निर्माणों का सर्वे किया गया, जिसमें 9 निर्माण स्वीकृत मिले। 2 स्थलों पर सरकारी भवनों में निर्माण हो रहा था। 6 मामलों में बिना स्वीकृति निर्माण होने पर कार्य बंद कराते हुए नोटिस जारी की गई।

सारनाथ, आदमपुर एवं जैतपुरा वार्डों में 5 अवैध निर्माण को सील किया गया। दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक और कोतवाली वार्डों में सात अवैध निर्माण कराने वाले भवन स्वामियों को नोटिस दी गई और फील्ड फील्ड कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया गया। नगवां एवं भेलुपुर जोन में 5 अवैध निर्माण सील किए गए और फील्ड कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 08.12.2024

इंफोर्समेट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर से नव निर्माणों का चिह्नांकन, दी गयी नोटिस

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने इंफोसमिट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर के माध्यम से वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत नव निर्माण के चिह्नांकन एवं कृत कार्यवाही की समीक्षा की गयी। वीडीए की तरफ से इंफोसमिट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर के माध्यम से चिह्नित अनाधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई की गयी है।

जोन एक (शिवपुर एवं सिकरौल) में 1000 वर्ग मीटर से बड़े कुल 17 नये निर्माणों का मौके पर सर्वे किया गया जिसमें 09 प्रकरणों में मानचित्र स्वीकृत पाया गया, दो स्थलों पर सरकारी भवन में नव निर्माण हो रहा था। छह प्रकरण में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण हो रहा था, जिसे मौके पर तत्काल बंद कराते हुए उक्त के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया एवं संबंधित थाने पर पत्र भेजा गया है।

जोन दो (सारनाथ, आदमपुर एवं जैतपुरा) में 1000 वर्ग मीटर से बड़े कुल 09 नव निर्माणों का मौके पर सर्वे किया गया जिसमें 03 प्रकरणों में मानचित्र स्वीकृत पाया गया, एक बाउंड्रीवाल का निर्माण पाया गया, पांच प्रकरण में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण हो रहा था, जिसे मौके पर तत्काल बंद कराते हुए उक्त के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया एवं एक में भवन को सील किया गया तथा संबंधित थाने पर पत्र भेजा गया है।

जोन तीन (दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक एवं कोतवाली) में 1000 वर्ग मीटर से बड़े कुल सात नव निर्माणों का मौके पर सर्वे किया गया जिसमें सात प्रकरणों में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण हो रहा था, जिसे मौके पर तत्काल बंद कराते हुए उक्त के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया। वहीं क्षेत्रीय फील्ड कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया।

जोन-चार (नगवां एवं भेलुपुर) में 500 वर्ग मीटर से बड़े कुल पांच नव निर्माणों का मौके पर सर्वे किया गया जिसमें पांच प्रकरणों में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण हो रहा था, जिसे मौके पर तत्काल बंद कराते हुए उक्त के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया एवं तीन भवन को सील किया गया तथा एवं संबंधित थाने पर पत्र भेजा गया है। वहीं क्षेत्रीय फील्ड कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया।

इंफोसमिट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर द्वारा जोन संख्या-एक, दो, तीन एवं चार के अंतर्गत 500 वर्ग मीटर से बड़े चिह्नित एवं नव निर्माण क्रमशः 74, 21, 14 एवं 04 की स्थलीय जांच एक सप्ताह में करते हुए प्रभावी कार्यवाही के लिए जोन टीम को निर्देश दिया गया।

इंफोसमिट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर टीम को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-सात एवं 19 से संलग्न क्षेत्र में नव निर्माणों को सैटेलाईट डाटा एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान सचिव वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, संयुक्त सचिव परमानन्द यादव, नगर नियोजक प्रभात कुमार एवं समस्त जोन के जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 08.12.2024

इन्फोर्समेट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर के माध्यम से नव निर्माण के चिन्हाकन एवं कृत कार्यवाही की समीक्षा

वाराणसी। उपाध्यक्ष वी0डी0ए0 श्री पुलकित गर्ग द्वारा 07 दिसम्बर को इन्फोर्समेट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर के माध्यम से वाराणसी क्षेत्र के अन्तर्गत नव निर्माण के चिन्हाकन एवं कृत कार्यवाही की समीक्षा की गयी। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा इन्फोर्समेट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर के माध्यम से चिन्हित अनाधिकृत निर्माणों पर निमन्वत् कार्यवाही गयी है।जोन संख्या-01 (शिवपुर एवं सिकरौल) में 1000 वर्ग मीटर से बड़े कुल 17 नव निर्माणों का मौके पर सर्वे किया गया जिसमें 09 प्रकरणों में मानचित्र स्वीकृत पाया गया, 02 स्थलों पर सरकारी भवन में नव निर्माण हो रहा था, 06 प्रकरण में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण हो रहा था, जिसे मौके पर तत्काल बन्द कराते हुए उक्त के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में नोटिस जारी किया गया एवं सम्बन्धित थाने पर पत्र भेजा गया है।जोन संख्या-02 (सारनाथ, आदमपुर एवं जैतपुरा) में 1000 वर्ग मीटर से बड़े कुल 09 नव निर्माणों का मौके पर सर्वे किया गया जिसमें 03 प्रकरणों में मानचित्र स्वीकृत पाया गया, 01 बाउण्ड्रीवाल का निर्माण पाया गया, 05 प्रकरण में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण हो रहा था, जिसे मौके पर तत्काल बन्द कराते हुए उक्त के उक्त विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में नोटिस जारी किया गया एवं 01 में भवन को सील किया गया तथा सम्बन्धित थाने पर पत्र भेजा गया है।जोन संख्या-03 (दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक एवं कोतवाली) में 1000 वर्ग मीटर से बड़े कुल 07 नव निर्माणों का मौके पर सर्वे किया गया जिसमें 07 प्रकरणों में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण हो रहा था, जिसे मौके पर तत्काल बन्द कराते हुए उक्त के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में नोटिस जारी किया गया एवं सम्बन्धित थाने पर पत्र भेजा गया है। क्षेत्रीय फील्ड कार्मिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया।जोन संख्या-04 (नगवां एवं भेलूपुर) में 500 वर्ग मीटर से बड़े कुल 05 नव निर्माणों का मौके पर सर्वे किया गया जिसमें 05 प्रकरणों में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण हो रहा था, जिसे मौके पर तत्काल बन्द कराते हुए उक्त के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में नोटिस जारी किया गया एवं 03 में भवन को सील किया गया तथा एवं सम्बन्धित थाने पर पत्र भेजा गया है। क्षेत्रीय फील्ड कार्मिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया।इन्फोर्समेट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर द्वारा जोन संख्या-01, 02, 03 एवं 04 के अन्तर्गत 500 वर्ग मीटर से बड़े चिन्हित एवं नव निर्माण क्रमशः 74, 21, 14 एवं 04 की स्थलीय जॉच 01 सप्ताह में करते हुए प्रभावी कार्यवाही हेतु जोन टीम को निर्देश दिया गया।बैठक के दौरान सचिव, वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव श्री गुडाकेश शर्मा, संयुक्त सचिव श्री परमानन्द यादव, नगर नियोजन, श्री प्रभात कुमार एवं समस्त जोन के जोनल अधिकारी एवं अवर अभियन्ता उपस्थित रहे।